130

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रेदश ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. PBR/निगरानी/मंदसौर/भू-रा/2017/2809

1. श्रीमती सज्जनबाई बेवा भैरू जी रेवारी उम्र 60 वर्ष **धंधा** खेती निवासी रावतखेडा तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र.
2. श्रीमती गायत्री बाई पिता भैरू जी पति मुकेश रेवारी उम्र 25 वर्ष धंधा खेती निवासी रावतखेडा तहसील सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र. ....आवेदकगण

बनाम

1. भैरू पिता देवा जी रेवारी धंधा खेती उम्र वयस्क **निवासी** रावतखेडा तह. सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र.
2. गणेश पिता देवा जी रेवारी धंधा खेती उम्र वयस्क **निवासी** रावतखेडा तह. सुवासरा जिला मंदसौर म.प्र. ....अनावेदकगण

निगरानी प्रार्थना पत्र

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

राजस्व निरीक्षक वृत सुवासरा तहसील सुवासरा के सीमांकन प्र.क. 77/A –12/16–17 में सीमांकन दिनांक 20 या 29/06/2017 के के. विरूध्द निगरानी

माननीय,

सीमांकन कार्यवाही प्रशासकीय स्वरूप की होने **पर भी** कार्यवाही की नियमितता एवम् वैधता के परीक्षण हेतु संहिता की धारा 50 **के उपबंध** के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है, (अवलोकनीय – हरदास वि. विजयराम, 1977 रा.नि. 186 रा.मं. खंडपीठ) अतः सीमांकन कार्यवाही से दुःखित होकर यह **निगरानी** ज्ञापन निम्न आधारो पर प्रस्तुत हैं :–

1. संक्षिप्त विवरण :–

जिला मन्दसौर की तहसील सुवासरा के **ग्राम धानड़ाखेडा** में निगरानीकर्ता के पैतृक कृषि खाता के पुराने सर्वे नं. 4/10 (नया **परिवर्तित** नं. 6)

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/2809

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	